Title: Motion for election of two Members to the Coconut Development Board (Motion Adopted)

ELECTION TO COMMITTEE

Coconut Development Board

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.09 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

-

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों ने नियम 377 के अधीन नोटिस दिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने पठन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सदन के पटल पर रख सकते हैं ।